

प्रश्न,

श्रीमद् अनामिका देवी
श्रीमद् अनामिका देवी

तथा,

श्रीमद् अनामिका देवी
श्रीमद् अनामिका देवी

विभाग 17: अनुभाग

संख्या: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2004

विषय:-

श्री अनामिका देवी द्वारा प्रेषित अपने पत्रों पर अनामिका देवी की संवत्सरात्मिका के संवत्सरात्मिका के संवत्सरात्मिका प्रश्न का जवाब देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे यह बताने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विभाग को **श्रीमद् अनामिका देवी** नई दिल्ली से संवत्सरात्मिका हेतु अनौपचारिक प्रश्न पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनौपचारिक नहीं है :-

- 111- विभाग की प्रजिज्ञा तैयारी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- 121- विभाग की प्रश्न सभिति में संस्था निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 138- विभाग में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/प्रायश्चित के श्रेणी वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उक्त 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैदिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विभागों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित सूचक से अधिक पुस्तक नहीं लिया जाएगा।
- 141- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से सान्यता प्राप्त है तथा विभाग की संवत्सरात्मिका केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/जीसि फार दि अनामिका देवी सदी निदेशक अनामिका देवी नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संवत्सरात्मिका प्राप्त होने की तिथि से 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः तकाप्ता ही जायेगा।

